

6
4/18

पत्रावली के पत्र / कलम नम्बर / कलम का क्रम
पत्रावली अधिनियम 1957 / कलम 10 में आता है।
पत्रावली पत्र अधिनियम दिनांक 26.9.18
को पेश हो।

28/6/18

पत्रावली का पत्र नाम का पत्रे डार उपाधी
में पेश हुई। प्रस्तुत कल्याणी निषेधाज्ञा
के सम्बन्धित वाद खारिज किया जा सकता
है। सिविल में प्रार्थना के अन्तर्गत कल्याणी
निषेधाज्ञा का आगे चलाये जाने का कोई
अधिकार नहीं रह जाने के कारण प्रार्थना
का कल्याणी निषेधाज्ञा अन्तर्गत खारिज
किया जा सकता

पत्रावली के अन्तर्गत सुमा (धर) नाम
के अन्तर्गत सिविल का पत्र दिनांक 28/6/18
को कोई कल्याणी नाम का पत्रे कल्याणी में
सुना जागा।

(जूही भार्गव)
प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
सीकर

सुवारी लाल बरबड़ (अधिवक्ता)
सदस्य राजस्थान लोक अदालत
उपखण्ड, सीकर